तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.08.24	पत्रावली पेश हुई। बकुलाय फरिकेन उपस्थित। बहस उभयपक्ष प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सुनी गयी। प्रार्थना–पत्र का निस्तारण इस आदेशिका के तहत किया जा रहा है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा दिनांक 22.08.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी इस आशय का पेश किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत अनवान सदर का वाद नाबालिगान वादीगण की तरफ से जरिये कुदरतीबली माता रामी कंवर पत्नी करणी सिंह की तरफ से प्रस्तुत किया गया है। प्राकृतिक पिता के जीवनकाल में माता नाबालिगान की संरक्षक नहीं हो सकती। इसलिए वादीगण की तरफ से वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। वाद पूर्णतया बार्डबाई लॉ है। इसलिए दावा वादीगण प्राथमिक स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण वादगत भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है। वादीगण की तरफ से मुख्य अनुतोष वादगत भूमि का खाता विभाजन बाबत हैं जिसमें स्टेट के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। इसलिए कानूनन वादीगण का वाद विधिविरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण को मुझ प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध वादकारण हासिल नहीं है। इसलिए वादकारण के अभाव में कानूनन वाद चलने योग्य नहीं है। वादीगण मौजूदा वाद में एग्रिव्ड प्रश्न नहीं है। वादीगण को वाद लाने की लॉक्स स्टेण्डी नहीं है। कानूनन वाद चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन है कि वादीगण का वाद बार्डबाई लॉ होने के कारण व कानूनन चलने योग्य नहीं होने के कारण वाद वादीगण को इसी	

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

स्तर पर खारिज फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रति अभिभाषक वादीगण को दी गई।

अभिभाषक वादीगण द्वारा दिनांक 05.05.2022 को जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी ने यह एडमिट किया है कि वादीगण प्रार्थी के पोते है। पोतो को अपने दादा के जीवनकाल में दादा की सम्पति में बाई बर्थ अधिकार कानूनन प्राप्त हो जाते है। नाबालिग की सरंक्षक माता पिता दोनो ही माने जाते है। नाबालिग के अधिकारों के सरंक्षण के लिए माता अथवा पिता दोनों नाबालिग की ओर से वाद प्रस्तुत कर सकते है। वर्तमान में वादी बालिग है। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण का दादा है। इसलिए वादीगण का वादकारण कानूनन बनता है। वाद विधि द्वारा बाधित नहीं है। वादीगण को वादगत भूमि बाबत पूर्ण अधिकार हासिल है एवं कानून की मान्यता प्राप्त है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि वादीगण का वाद हेतुक वादगत भूमि में प्रकट होने पर दावा पेश किया गया एवं वादपत्र में अंकित कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद विधि एवं विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतो के अनुरूप दावा पेश किया गया है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्ष सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 1 के अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि पूर्णसिंह और जितेन्द्रसिंह दावे के समय नाबालिग थे। पिता के होते हुए माता दावा नहीं ला सकती है। जब तक पिता जीवित है वह ही उसका सरंक्षक है। माता को अधिकार

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

उपखण्ड अधिकारी बीकानेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नहीं है। बालिग होने के बाद भी वह कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हुए है। माता को कोई अधिकार नहीं है। वह दावे को आगे नहीं चला सकती जब बच्चे बालिग हो गये। स्टेट को नोटिस नहीं दिया है। धारा अन्तर्गत आर.टी.एक्ट 53 का दावा नहीं ला सकते है। आर आर टी 1984 पेज 712 1/2 हिस्सा दे दिया है। वादी दावे में स्वीकार कर रहे है।

वादीगण के अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 में पेश किया गया है। वादीगण के व्यस्क होने के बाद में कोर्ट में पेश हुए है। वकालतनामा भी लगा है। 12.08.1997 की अधिसूचना के तहत पोता दावा ला सकता है। उक्त कृषि भूमि पुश्तैनी है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानर्पूवक अवलोकन किया। उक्त अनवानी वाद नाबालिग वादीण की ओर से कुदरतवली माता के द्वारा पेश किया गया। वाद दायरी की दिनांक को वादी संख्या 1 की आयु 17 वर्ष तथा वादी संख्या 2 की आयु 13 वर्ष अंकित की गयी है। उपरोक्त वर्णित प्रार्थना–पत्र प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से दिनांक 22.08.2019 को पेश किया गया तथा उक्त प्रार्थना–पत्र का जवाब वादी पूर्णसिंह के द्वारा दिनांक 05.05.2022 को पेश किया गया। जवाब प्रार्थना–पत्र वादी पूर्णसिंह द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से पेश किया गया है, तत्समय वादी संख्या 1 बालिग हो गया था तथा आज दिनांक के वादीगण द्वारा बालिग होने उपरान्त उक्त सूचना न्यायालय में पेश की गयी

उपखण्ड अधिकारी बीकानेर

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तथा जवाब प्रार्थना–पत्र पेश करने की दिनांक को वादीगण की ओर से वकालतनामा के बिना जवाब पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त वाद के तहत वांछित अनुतोष विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व 2, जो वादीगण के दादा की रिकार्डेड खातेदारी भूमि है, जिसमें वादीगण का हक व हिस्सा अपने पिता की पादुकाओं के तहत संधारणीय है, जबकि वाद वादीगण जरिये कुदरतवली माता पेश किया गया। वादीगण द्वारा नाबालिग होते हुए प्रस्तुत वाद के तथ्यों अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने आपसी सहमति से खाता विभाजन कर रखा है, उक्त तथ्य नाबालिग वादीगण के हकों एवं अधिकारों के समक्ष नाबालिग होते हुए विवादित आराजी काश्त करने का कथन पोषणीय प्रतीत नहीं होता है। अतः वाद वादीगण बार्ड बाई लॉ की श्रेणी में आता है।

उपरोक्त विवेचन कि आधार पर वाद वादीगण बार्ड बाई लॉ होने से अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 21/08/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

उपखण्ड अधिकारी बीकानेर